सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-2029/MCOL/1/2025-RU-IV (RU-I) **दिनांक: 02.06.2025**

श्री जय प्रकाश द्विवेदी,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
कोल एस्टेट, सिविल लाइंस,
नागपुर- 440 001, महाराष्ट्र
ई-मेल: cmd.wcl.cil@coalindia.in

विषय: वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कार्मिकों की समस्या/शिकायतों का निराकरण करने संबंधी ज्ञापन दिए जाने के संबंध में- श्री बाबापुसाम, अध्यक्ष, ऑल इंडिया एससी/एसटी/ओबीसी एम्पलॉइज कोर्डिनेशन कॉउसिल, वेकोली (मुख्यालय) सिविल लाइंस, नागपूर, महाराष्ट्र का दिनांक 29.07.2024 का पत्र/अभ्यावेदन

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 02.04.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में **दिनांक 17.06.2025 को दोपहर पूर्व** सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(R.K. Dubey/आर. के. दुबे)
Deputy Director/उप-निदेशक
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री बाबापुसाम,
अध्यक्ष,
ऑल इंडिया एससी/एसटी/ओबीसी एम्पलॉइज कोर्डिनेशन
कॉउसिल, वेकोली (मुख्यालय) सिविल लाइंस,
नागपूर, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।